

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

संख्या 61 तारीख दायर 13/08/2020 दिनांक निर्णय 05/10/2020

उनवान

पटवारी कब्जा मिहोजपुर बनाम मुकेश, लोकेश, खीम

आव पत्रावली मु.-नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।

नैलायत बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207/7 का नया कब्जा होना साबित होता है।

कब्जा साबित बेदखली है।

बेदखल है कि-

नैलायत मुकेश, लोकेश, खीम पुत्र/पत्नी रामेश्वर मीना

पत्नी मीना निवासी रामपुर (सामाखेडा)

को आरजी खसरा नं. 4 रकबा 0.40 किस्म चरागाह वाके ग्राम.

वावडी से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 2.40 की

50 गुणा में मु. 120/- कायमी कराई जावे

TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावे।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावे।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21  
के पृष्ठ संख्या 68 पर चा. व. 120/-  
राशि कायम किये गये।

चिब्र  
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार  
नायब तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर) प्रर)